यातायात प्रबन्धन

उत्तरांचल राज्य में उद्योग, पर्यटन एवं **Information Technology** के विकास के साथ ही वाहनों की संख्या में भी अप्रत्याषित वृद्धि हुई है। जहॉ वर्श 2001 में राज्य में पंजीकृत वाहनों की संख्या 3,63,916 थी, वहीं अब यह संख्या बढ़ कर 6,95,490 हो गई है। इस प्रकार वाहनों की संख्या में 91 प्रतिषत की वृद्धि होने के कारण यातायात समस्या एक चुनौती के रूप मे उभर कर सामने आई है। यद्यपि यातायात नियन्त्रण हेतु पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग यथा परिवहन, नगर निगम/नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, सीमा सड़क संगठन, आदि अन्य विभाग भी जिम्मेदार हैं परन्तु अन्त में पुलिस विभाग का ही उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। राज्य पुलिस द्वारा यातायात में सुधार हेतु निम्न पहल की गई है :–

- मुख्य–मुख्य शहरों में यातायात की समस्या का परीक्षण कर उनके सुधार के लिए **Traffic Improvement Plan** तैयार करना तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रस्ताव बना कर कमिष्नर के पास भेजा गया है। इस कार्ययोजना में सड़को का चौड़ीकरण, सिगनल/ट्रैफिक लाईट लगाना, चौराहो का विस्तारीकरण, यातायात में वाधक बने बिजली/टेलीफोन के खम्बे, बोर्ड/होर्डिग्स सहित अन्य अतिक्रमण हटाना, बड़े षहरों में उपलब्धता के आधार पर पार्किग स्थल चिन्हित करना, रोड डिवाइडर लगाया जाना, स्पीड ब्रेकर आदि का निर्माण सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में राजधानी जनपद देहरादून में कुछ स्थानो पर कार्य भी आरम्भ हो गया है।
- यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहने हेतु स्कूली छात्र–छात्राओं एवं एन0सी0सी0 बालिकाओं को यातायात पुलिस द्वारा प्रषिक्षण दिया गया तथा यातायात सम्बन्धी नियमों के पैम्पलेट बितरित किये गये।
- बड़े बड़े शहरों/कस्बों में यातायात संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु यातायात संबंधी अभियान चला कर अनाधिकृत रूप से चल रहे वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करना तथा उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को यातायात नियमों का उल्लधन करने वाले वाहन चालकों को मौके पर ही संयोजन शुल्क वसूल करने का अधिकार दिया गया।
- जनपद देहरादून में कई स्कूलों में अवकाष के समय सड़क में यातायात/भीड़ भाड़ से बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए लाली–पॉप स्कीम के अन्तर्गत यातायात/महिला पुलिस को लगाया गया।
- मुख्य–मुख्य चौराहों पर यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु पब्लिक एड्रैस सिस्टम (**Public Address System**) के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है।
- मुख्य मुख्य शहरों विषेषकर राजधानी देहरादून में दोपहिया वाहन चालकों हेतु हैलमेट का प्रयोग अनिवार्य करना।
- दुर्घटनाओं पर अंकुश हेतु भारी मालवाहक वाहन को व्यस्त समय पर शहरी क्षेत्रों में प्रवेष हेतु प्रतिबन्धित करना।

- यातायात के बढते दवाब को कम करने हेतु बड़े बड़े षहरो विषेशकर राजधानी देहरादून के कुछ मार्गों में वन–वे ट्रैफिक व्यवस्था की गई।
- मसूरी में यातायात के सुदृढ़ करने हेतु सी0सी0टी0वी0 लगाए गए।
- अवैध ठेली/फड़/खोमचे वाले/सड़क–फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को हटाना।
- मुख्य एवं व्यस्त सड़कों/बाजारों में यातायात के दवाव को कम करने हेतु अन्य छोटी व कम भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर यातायात डाइवर्ट करना।
- सही पार्किंग व्यवस्था करना एवं जनता को सही पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- पर्वतीय जनपदों में रात्रि 2000 बजे से प्रातः 0500 बजे तक वाहनो का संचालन पूर्णतयाः प्रतिबन्धित।

सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें मृतक व घायलों का तीनवर्शीय तुलनात्मक विवरण

वर्श	सड़क दुर्धटना	मृतक	घायल
2006	1461	975	1910
2005	1332	869	1842
2004	1252	931	1870

यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध कार्यवाही का तीनवर्शीय तुलनात्मक विवरण

वर्श	कुल चालान	सीज वाहन	संयोजन षुल्क
2006	1,74,614	4,765	2,19,95,070
2005	1,62,883	4,220	2,01,73,890
2004	69,630	3,735	48,76,710